पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

संजय कुमार

बनाम

बिहार सरकार और अन्य

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या: 18671/2024

09 दिसंबर, 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पूर्णेन्दु सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या याचिकाकर्ता, जिसके पिता की सीआरपीएफ में सेवा करते समय मृत्यु हो गई थी, सीआरपीएफ के स्थायी आदेश संख्या 05/2001 के मद्देनजर कांस्टेबल/जीडी के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद सफाई कर्मचारी (सीटी/एसके) के रूप में अनुकंपा नियुक्ति का हकदार है।

हेडनोट्स

सेवा कानून – अनुकंपा नियुक्ति – शारीरिक मापदंड वाले और बिना शारीरिक मापदंड वाले पदों के बीच भेद – सीआरपीएफ स्थायी आदेश संख्या 05/2001 –

सीआरपीएफ के स्थायी आदेश संख्या 05/2001 में शारीरिक मानकों की आवश्यकता वाले पदों और छूट प्राप्त पदों के बीच अंतर किया गया है। कांस्टेबल (दफ्तर /चपरासी/सफाई कर्मचारी (मिन.)) जैसे पद शारीरिक फिटनेस मानदंडों के अधीन नहीं हैं। चूंकि याचिकाकर्ता कांस्टेबल/जीडी के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य था, लेकिन उसने सफाई कर्मचारी पद (जो छूट प्राप्त श्रेणी में आता है) के लिए आवेदन किया था, इसलिए उसके मामले पर तदनुसार पुनर्विचार किया जाना चाहिए। [पैरा 11–13]

भारतीय संविधान – अनुच्छेद 14 – समान व्यवहार – समान स्थिति वाले उम्मीदवारों के बीच भेदभाव अस्वीकार्य है –

न्यायालय ने कहा कि चिकित्सा आधार पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने से इनकार करना, जो कि मांगे गए पद के लिए प्रासंगिक नहीं है, मनमाना है तथा अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। सीआरपीएफ को मृतक कर्मचारियों के सभी पात्र आश्रितों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए तथा लागू नीति के अनुसार कार्य करना चाहिए। [पैरा 11–13]

प्रशासनिक कानून – स्थायी आदेशों का कार्यान्वयन – संगठन पर बाध्यकारी प्रभाव –

माना गया कि सीआरपीएफ अपने स्थायी आदेश संख्या 05/2001 का पालन करने के लिए बाध्य है, जो अनुकंपा नियुक्ति के लिए विशिष्ट नियम निर्धारित करता है, जिसमें शारीरिक फिटनेस मानकों से कुछ पदों को छूट देना भी शामिल है। एलपीए संख्या 1356/2019 में दिए गए फैसले पर भरोसा किया गया। [पैरा 12–13]

राहत – नीति और सर्वोच्च न्यायालय के कानून के आलोक में मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश –

न्यायालय ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया गया कि वह याचिकाकर्ता के स्थायी आदेश संख्या 05/2001 तथा सर्वोच्च न्यायालय के लागू निर्णयों के आलोक में अनुकंपा नियुक्ति के दावे की पुनः जांच करें। [पैरा 13]

न्याय दृष्टान्त

उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य , (1994) 4 एससीसी 138 – लागू; **पश्चिम बंगाल राज्य बनाम देबब्रत तिवारी** , 2022 की सिविल अपील संख्या 8842-8855 - अनुसरण किया गया; **जगदीश प्रसाद बनाम बिहार राज्य** , (1996) 1 एससीसी 301 – लागू; **यूपी राज्य बनाम पारस नाथ** , (1998) 2 एससीसी 412 – पर भरोसा किया गया; **एलपीए संख्या 1356/2019 ,** पटना उच्च न्यायालय – अनुसरण किया गया

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान; सीआरपीएफ स्थायी आदेश संख्या 05/2001

मुख्य शब्दों की सूची

अनुकंपा नियुक्ति; सीआरपीएफ; सफाई कर्मचारी; चिकित्सा अयोग्यता; स्थायी आदेश 05/2001; कांस्टेबल/एसके; शारीरिक मानक; सेवा के दौरान मृत्यु; गैर-भेदभावपूर्ण नीति; पुनर्विचार

प्रकरण से उत्पन्न

सफाई कर्मचारी पद को छूट प्राप्त श्रेणी के अंतर्गत विचार करने के अनुरोध के बावजूद, जीडी भूमिका के लिए चिकित्सकीय अयोग्यता के कारण सीटी/एसके श्रेणी के अंतर्गत याचिकाकर्ता (मृतक एएसआई/जीडी का पुत्र) की अनुकंपा नियुक्ति को अस्वीकार कर दिया गया।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता के लिए: श्री बिपिन कुमार, अधिवक्ता; श्री अमरनाथ, अधिवक्ता

भारत संघ के लिए: अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया:- सुश्री आकांक्षा मालवीय अधिवक्ता

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या : 18671/2024

==========

संजय कुमार, पिता स्वर्गीय राजेंद्र दास, निवासी- फुलवारिया 02 वार्ड संख्या-05, थाना-फुलवारी, जिला-बेगुसराय।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से भारत संघ।
2. उप-महानिरीक्षक समूह केंद्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, मोकामाघाट, बिहार।
3. कमांडेंट, 187 वीं बटालियन (एओएल) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), मोकामा घाट, बिहार।

..... उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थितिः

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री बिपिन कुमार, अधिवक्ता।

श्री अमरनाथ, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिए : अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल।

==========

समक्षः माननीय न्यायमूर्ति श्री पूर्णेन्दु सिंह

मौखिक निर्णय

तारीखः 09-12-2024

मामले की सुनवाई "वर्चुअल हाइब्रिड मोड" में की गई।

2. भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही में शामिल हुए और याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बिपिन कुमार और विद्वान वकील श्री अमरनाथ की सुनवाई की।

3. याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका के कंडिका संख्या- 1 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की मांग की है, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

> *"I. प्रतिवादियों को आदेश देने के लिए रिट/रिट जारी करने के लिए कि वे याचिकाकर्ता को सी.टी./एस.के. के तहत सफाई कर्मचारी के पद पर तुरंत नियुक्त करें, जिसके लिए याचिकाकर्ता सही रूप से हकदार और कानूनी रूप से पात्र है।*
>
> *II. इस बात के लिए रिट जारी करने के लिए कि याचिकाकर्ता को सी.टी./एस.के. के तहत सफाई कर्मचारी के रूप में नियुक्त क्यों नहीं किया गया है, इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र है।*
>
> *III. किसी भी अन्य रिट/रिट, आदेश/आदेश, निर्देश/निर्देश के लिए जैसा कि यह माननीय न्यायालय इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और योग्य समझे।"*

<u>संक्षिप्त तथ्यः</u>

4. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु 18.04.2022 को सेवा के दौरान हो गई थी, जब वह बटालियन संख्या जी/187 और बल संख्या 820300034 के तहत जम्मू और कश्मीर में एएसआई/जीडी के रूप में सेवारत थे। याचिकाकर्ता आश्रित होने और अपने परिवार के जीवन यापन के लिए, उसने कांस्टेबल (*जीडी*) के पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए अपने मामले पर विचार करने के लिए आवेदन किया, लेकिन उसका चयन नहीं हुआ। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने सीटी/एसके में सफाई कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने की इच्छा व्यक्त की और इस संबंध में कमांडेंट, 187 वीं बीएन सीआरपीएफ बटालियन के समक्ष दिनांक 17.09.2023 (अनुलग्नक-पी/3) एक

अभ्यावेदन दायर किया। याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन के जवाब में, याचिकाकर्ता को चयन पूर्व प्रशिक्षण के लिए एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या में दिखाई देता है। संख्या 4 के अनुसार कांस्टेबल/जीडी (ड्राइवर, रसोइया, सफाई कर्मचारी, जलवाहक, बिगुलर) के पद के लिए 27.05.2024 से 10.06.2024 तक चयन पूर्व प्रशिक्षण आयोजित किया जाना था। याचिकाकर्ता चयन पूर्व प्रशिक्षण में उपस्थित हुआ और उसे 25 अन्य आवेदकों के साथ मेडिकल टेस्ट के लिए रखा गया, जिसमें याचिकाकर्ता को अयोग्य पाया गया और उक्त कारण से, अनुकंपा नियुक्ति के लिए उसके मामले पर विचार नहीं किया गया।

पक्षकारों की ओर से निवेदन:

5. याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने 18.04.2022 पर अपने पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर अपनी नियुक्ति पर विचार करने के लिए प्राधिकरण के समक्ष आवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि इसके बाद याचिकाकर्ता को चिकित्सा जांच के लिए बुलाया गया और कनेन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह केंद्र, मोकामाघाट, पटना में उम्मीदवारों के डीएमई के लिए नामित डॉ. संतोष सुमन द्वारा याचिकाकर्ता की जांच करने के बाद, याचिकाकर्ता को चिकित्सक द्वारा नाक सेम्पटम, बिलेस्ट हाइड्रोसिल और हल्के ब्रोंकाइटिस के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया और अनुकंपा नियुक्ति के लिए उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि सीआरपीएफ के स्थायी आदेश संख्या 05/2001 और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कई कानूनों के आलोक में कांस्टेबल/एसके के पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के अधिकार पर विचार न करना अनुकंपा नियुक्ति के उद्देश्य को विफल करने के समान होगा।

6. इसके विपरीत, भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के मामले पर इस तथ्य के मद्देनजर विचार नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता को चिकित्सा मूल्यांकन परीक्षण के दौरान चिकित्सकीय रूप से अयोग्य पाया गया है, जैसा कि पुलिस उप महानिरीक्षक, कम्पोजिट अस्पताल, केरीपुवाल, मुजफ्फरपुर को जारी पत्र से स्पष्ट होता है। (रिट याचिका का अनुलग्नक पी/6)।

विश्लेषण और निष्कर्षः

7. पार्टियों को सुना।

8. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में कानून सुस्थापित है। सर्वोच्च न्यायालय ने ***(1994) 4 एससीसी 138*** में दर्ज ***उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य*** के निर्णय पर भरोसा करते हुए, तथा ***सिविल अपील संख्या 8842-8855/2022*** में पारित ***पश्चिम बंगाल राज्य बनाम देवव्रत तिवारी एवं अन्य*** आदि के मामले में पैराग्राफ संख्या 7.2 में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए हैं, जिन्हें आगे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> *"7.2.इस न्यायालय के उपर्युक्त निर्णयों पर विचार करने पर निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैंः*
>
> *i. अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान भर्ती की एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके किसी पद पर नियुक्ति के लिए प्रदान करने वाले सामान्य प्रावधानों से अलग है। चूंकि ऐसा प्रावधान उक्त प्रक्रिया का पालन किए बिना नियुक्ति करने में सक्षम बनाता है, इसलिए यह सामान्य प्रावधानों के अपवाद की प्रकृति का है और इसका सहारा केवल बताए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लिया जाना चाहिए, अर्थात मृतक के परिवार को अचानक वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाना।*

ii. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भर्ती का स्रोत नहीं है। राज्य या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा ऐसी परोपकारी योजना बनाने का कारण यह देखना है कि मृतक के आश्रितों को आजीविका के साधनों से वंचित न होना पड़े। यह केवल मृतक के परिवार को अचानक वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाता है।

iii. अनुकंपा नियुक्ति एक निहित अधिकार नहीं है जिसका उपयोग भविष्य में किसी भी समय किया जा सकता है।समय बीतने के बाद और संकट समाप्त होने के बाद अनुकंपा रोजगार का दावा या पेशकश नहीं की जा सकती है।

iv. संकटग्रस्त परिवार को मुक्त करने के लिए उस अनुकंपापूर्ण नियुक्ति को तुरंत प्रदान किया जाना चाहिए।इस तरह के मामले को वर्षों तक लंबित रखना अनुचित है।
v. यह निर्धारित करने में कि परिवार वित्तीय संकट में है या नहीं, सभी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसमें परिवार की आय, उसकी देनदारियां, परिवार द्वारा प्राप्त अंतिम लाभ, उम्र, निर्भरता और उसके सदस्यों की वैवाहिक स्थिति, किसी अन्य स्रोत से आय शामिल है।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***जगदीश प्रसाद बनाम बिहार राज्य (1996) 1 एस. सी. सी. 301*** के मामले में अनुकंपा नियुक्ति के उद्देश्य पर विचार करते हुए कहा कि मृतक कर्मचारियों के आश्रित की नियुक्ति का उद्देश्य परिवार के कमाने वाले सदस्य की अचानक मृत्यु से परिवार को होने वाली अप्रत्याशित तत्काल कठिनाई और संकट को दूर करना है।

10. ***उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पारस नाथ के मामले में, (1998) 2 एससीसी 412*** में रिपोर्ट की गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सेवा में रहते हुए मरने वाले सरकारी कर्मचारी के आश्रित को किसी अन्य के बजाय रोजगार प्रदान करने का उद्देश्य, सेवा में रहते हुए उसकी अप्रत्याशित मृत्यु के कारण कर्मचारी के परिवार को होने वाली कठिनाई

को कम करना है। यह भी देखा गया कि इनमें से कोई भी विचार तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि आवेदन लंबे समय के बाद न किया गया हो।

11. वर्तमान मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार किया गया था और उसे मेडिकल फिटनेस परीक्षा के लिए बुलाया गया था और परिणामस्वरूप, उसे डॉक्टर द्वारा मेडिकल रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जैसा कि अनुलग्नक पी/6 से पता चलता है। 2001 के स्थायी आदेश संख्या 05 में यह स्पष्ट किया गया है कि कांस्टेबल (दफ्तर/चपरासी/सफाई कर्मचारी (मिन.)/फराश) और कांस्टेबल (लाइब्रेरी अटेंडेंट) के पद के लिए शारीरिक मानक का कोई प्रावधान नहीं है, जो याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य बनाता है।

12. मैं पाता हूँ कि स्थायी आदेश संख्या 05/2001 और एल.पी.ए. संख्या 1356/2019 में पारित दिनांक 06.05.2024 के आदेश के मद्देनजर, जिसमें इस न्यायालय ने विभिन्न पदों पर खुली प्रतिस्पर्धी भर्ती के लिए निर्धारित शारीरिक मानक को ध्यान में रखते हुए, साथ ही अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित स्थायी आदेश संख्या 05/2001 में स्पष्ट अंतर किया है और पैराग्राफ संख्या 6 में, जिसमें उसने माना है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत के प्रकाश में, अनुकंपा नियुक्ति की मांग में अपीलकर्ता की शिकायत सीआरपीएफ संगठन के खिलाफ है, सीआरपीएफ को स्थायी आदेश संख्या 05/2001 का पालन करना होगा।

13. सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता के मामले पर उपर्युक्त सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून और सी.आर.पी.एफ. के स्थायी आदेश संख्या 05/2001 के आलोक में विचार करें।

14. रिट याचिका का निपटारा हो गया है।

15. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

(पूर्णेन्दु सिंह, न्यायमूर्ति)

मन्त्रेश्वर/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।